# मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, टीकमगढ़ (म.प्र.)

(पीठासीन सदस्य : इन्द्रा सिंह)

Registration No. MACC/205/2017 Filing No. MACC/767/2017 CNR No. MP3601-008285-2017 Filing Date 31.10.2017

- 1. श्रीमती रेखादेवी पत्नी स्वर्गीय गोरेलाल कुशवाहा, उम्र 20 वर्ष
- 2. नंदू पुत्र मुलू कुशवाहा, उम्र 45 वर्ष
- 3. श्रीमती हीराबाई पत्नी नंदू कुशवाहा, उम्र 43 वर्ष
- 4. गुलाब पुत्र नंदू कुशवाहा, उम्र 23 वर्ष
- लक्ष्मन पुत्र नंदू कुशवाहा, उम्र 19 वर्ष
   सभी निवासी ग्राम सतगुँवा, थाना लिधौरा, तहसील लिधौरा,
   जिला टीकमगढ़ हाल निवासी पुरानी टेहरी मोहल्ला, थाना कोतवाली टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

---- आवेदकगण

#### बनाम

- 1. लक्ष्मन सिंह पुत्र सोरनपाल सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम राजारामपुरा, तहसील फैजाबाद, जिला फैजाबाद (उ.प्र.) वाहन चालक, वाहन क्रमाँक यू.पी-83 टी-5244
- 2. यतेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र सुगनचन्द्र गर्ग, उम्र 50 वर्ष, निवासी 5, बैंक हाउस सिविल लाईन, आगरा (उ.प्र.)
- 3. हरीमोहन गर्ग पुत्र सुगनचन्द्र जैन, उम्र 55 वर्ष, निवासी 55 लाजपथकुंज, सिविल लाईन, आगरा (उ.प्र.)
- 4. गोपाल मोहन गर्ग पुत्र सुगनचन्द्र जैन, उम्र 45 वर्ष, निवासी 4 बैंक बैंक हाउस सिविल लाईन, आगरा (उ.प्र.) क्रमाँक 2 लगायत 4 नरेन्द्र रोड लायंस प्राईवेट लिमिटेड कंपनी कार्यालय मुकेश बंसल, लहारी कम्पाउंड, कोटला रोड, फिरोजाबाद (उ.प्र.) क्रमाँक-2 लगायत 4 वाहन मालिक वाहन क्रमाँक यू.पी-83 टी-5144

- 5. कृष्णचन्द्र दीक्षित पुत्र रामशंकर दीक्षित, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम हसनपुर, पोस्ट सिकंदरपुर, थाना कोतवाली मैनपुरी, जिला मैनपुरी (उ.प्र.) प्रबंधक/वाहन सुपुर्ददार
- 6. शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय तृतीय तल, संजय पैलेस, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, आगरा (उ.प्र.) वाहन बीमा कंपनी

---- अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से श्री एस.के.द्विवेदी अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमाँक-1 से 5 की ओर से श्री नरेन्द्र रावत अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमाँक-6 की ओर से श्री एल.एल.नायक अधिवक्ता।

# {**अधिनिर्णय**} (<u>आज दिनाँक **07 अप्रैल, 2021** को घोषित</u>)

- 1. आवेदकगण की ओर से अनावेदकगण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत क्लेम दावा प्रस्तुत कर दिनाँक 13.09.2017 को 8:00 बजे के लगभग जतारा-पलेरा मार्ग पर साहू पेट्रोल पम्प के सामने, पलेरा अंतर्गत पुलिस थाना, पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में अनावेदक क्रमाँक-1 द्वारा अनवोदक क्रमाँक-2 लगायत 4 के स्वामित्व की प्राईवेट कंपनी के वाहन ट्राला क्रमाँक यू.पी-83 टी-5244 को उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए गोरेलाल कुशवाहा की मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटनामृत्यु कारित करने के कारण उन्हें कारित हुई क्षति की क्षतिपूर्ति बतौर प्रस्तुत किया है और 20,10,000/-रुपए की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित अनावेदकगण से दिलाये जाने का निवेदन किया है।
- 2. प्रकरण में अनावेदक क्रमाँक-6 (बीमा कंपनी) ने प्रश्नाधीन ट्राला क्रमाँक यू.पी-83 टी-5244 को अनावेदक क्रमाँक-2 लगायत 4 के स्वामित्व की प्राईवेट कंपनी के स्वामित्व का होकर दुर्घटना दिनाँक 13.09.2017 की अवधि में उसके पास बीमित होने के संबंध में प्रत्यक्षतः कोई विवाद नहीं किया है।

- 3. आवेदकगण का क्लेम दावे में यह अभिवचन है कि दिनाँक 13.09.2017 को सुबह 8:00 बजे के लगभग गोरेलाल कुशवाहा मोटरसाईकिल से ग्राम खैरा भानपुरा मोटरसाईकिल को धीमी गित एवं सावधानीपूर्वक अपनी साईड से चलाते हुए जा रहा था और जतारा-पलेरा मार्ग पर साहू पेट्रोल पम्प के सामने, पलेरा में पहुंचा तभी अनावेदक क्रमाँक-1 ट्राला क्रमाँक यू.पी-83 टी-5244 को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए लाया और गोरेलाल की मोटरसाईकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गोरेलाल नीचे गिर गया और ट्राला का पहिया गोरेलाल के सिर पर चढ़ गया तथा दुर्घटनास्थल पर ही गोरेलाल कुशवाहा की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट किये जाने पर पुलिस थाना, पलेरा, जिला टीकमगढ़ द्वारा अनावेदक क्रमाँक-1 के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337, 304 ए के अंतर्गत अपराध क्रमाँक 259/2017 पंजीबद्ध किया गया एवं मृतक गोरेलाल का शवपरीक्षण कराया गया।
- आवेदकगण का दावे में यह भी अभिवचन है कि आवेदिका क्रमाँक-1 3(i). मृतक गोरेलाल की पत्नी है एवं आवेदक क्रमाँक-2 व 3 मृतक के पिता व माता हैं और आवेदक क्रमाँक-४ एवं 5 मृतक के भाई हैं। दुर्घटना के समय मृतक की आयु 24 वर्ष थी और वह पूर्ण रुप से स्वस्थ होकर सब्जी बेचने का व्यवसाय एवं मकान बनाने की कारीगिरी और कृषि कार्य कर 10,000/-रुपए मासिक धनार्जन कर आवेदकगण पर खर्च करता था एवं आवेदकगण मृतक की आय पर आश्रित थे, किंतु दुर्घटना में आई चोटों के कारण गोरेलाल की असमय मृत्यु होने से आवेदकगण को आय/आश्रितता धन की हानि हुई है एवं आवेदकगण को मृतक से मिलने वाले प्रेम व स्नेह से वंचित होना पड़ा है, संपदा की हानि हुई है तथा मृतक के अंतिम संस्कार में भी व्यय हुआ है। दुर्घटना अनावेदक क्रमाँक-२ लगायत ४ के स्वामित्व के प्रश्नाधीन ट्राला वाहन से अनावेदक क्रमाँक-1 द्वारा कारित की गई है और वाहन को अनावेदक क्रमाँक-5 ने सुपूर्दनामे पर प्राप्त किया है तथा वाहन दुर्घटना दिनाँक को अनावेदक क्रमाँक-6 के पास तृतीय पक्ष की नुकसानी हेतु विधिवत् बीमित रहा है। इन आधारों पर आवेदकगण ने अनावेदकगण के विरुद्ध क्लेम दावा प्रस्तुत कर दावा प्रस्तुति दिनाँक से 12 प्रतिशत ब्याज सहित 20,10,000/-रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

- 4. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम दावे का अनावेदक क्रमाँक-1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए दावे में वर्णित समस्त अभिवचनों का खण्डन किया है एवं अतिरिक्त कथन में यह निवेदन किया है कि उसके पास दुर्घटना दिनाँक को प्रश्नाधीन वाहन चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था और वाहन विधिवत् अनावेदक क्रमाँक-6 के पास बीमित था एवं वाहन का चालन बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार किया जा रहा था, इसलिए उसके विरुद्ध दावा निरस्त किया जाये।
- 5. अनावेदक क्रमाँक-2, 3, 4 एवं 5 की ओर से संयुक्ततः आवेदकगण के क्लेम दावे का जवाब प्रस्तुत कर दावे के समस्त अभिवचनों का प्रत्याख्यान किया है और अतिरिक्त रूप से यह प्रतिरक्षा ली है कि उनकी कंपनी के स्वामित्व के प्रश्नाधीन वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है तथा मृतक स्वयं की लापरवाही के कारण किसी अन्य वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा और यदि इसके बावजूद भी अधिकरण द्वारा कोई क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है, तो दुर्घटना अवधि में उनके स्वामित्व का प्रश्नाधीन वाहन अनावेदक क्रमाँक-6 के यहां विधिवत् बीमित था और अनावेदक क्रमाँक-1 वैध लाईसेंसधारक है, इसलिए क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का उत्तरदायित्व अनावेदक क्रमाँक-6 बीमा कंपनी का होगा और उक्त आधारों पर उनके विरुद्ध प्रस्तुत दावा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
- 6. अनावेदक क्रमाँक-6 बीमा कंपनी ने भी आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दावे का जवाब प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपित यह ली है कि आवेदकगण द्वारा सही तथ्यों को छुपाते हुए असत्य आधारों पर अनावेदक क्रमाँक-1 एवं 2 लगायत 4 से दुरिभसंधि कर प्रस्तुत किया गया है। जवाब में आगे समस्त अभिवचनों का खण्डन किया है एवं विशेष आपित यह ली है कि मृतक स्वयं की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और वह स्वयं मोटरसाईकिल का चालन कर रहा था, जिसके कारण दावे में मोटरसाईकिल वाहन से संबंधित स्वामी एवं बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार हैं, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने से दावे में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। अनावेदक क्रमाँक-1 के पास दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन को एवं मृतक के पास मोटरसाईकल को चलाने की वैध अनुज्ञित नहीं थी और प्रश्नाधीन वाहन का चालन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था, जिसके कारण बीमा कंपनी क्षितिपूर्ति राशि अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं है और विशेष आपित को ध्यान में रखते हुए उसके विरुद्ध प्रस्तुत दावा निरस्त किये जाने की याचना की है।

7. प्रकरण के निराकरण के लिए मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्न वादप्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके संबंध में अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन आगामी कंडिकाओं में किया जाकर, संक्षिप्त निष्कर्ष प्रत्येक वादप्रश्न के समक्ष अंकित किया जा रहा है:-

क्रमाँक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या अनावेदक क्रमाँक-1 ने दिनाँक 13.09.2017 को 8:00 बजे जतारा-पलेरा रोड पर साहू पेट्रोल पम्प के सामने, आम रोड पर ट्राला क्रमाँक यू.पी-83 टी- 5244 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चला कर वाहन दुर्घटना कारित की, जिससे गोरेलाल की मृत्यु हुई ?	प्रमाणित।
2.	क्या दुर्घटना दिनाँक को अनावेदक क्रमाँक-1 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या दुर्घटना दिनाँक को संबंधित ट्राला वाहन बीमा शर्तों के उल्लंघन में संचालित किया जा रहा था ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या आवेदिकागण कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हाँ तो, किससे एवं कितनी ?	अधिनिर्णय की कंडिका- 20 एवं 21 के अनुसार।
5.	सहायता एवं व्यय ?	अधिनिर्णय की कंडिका- 22 के अनुसार।

### सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष

# वादप्रश्न क्रमाँक-1

8. आवेदिका साक्षी रेखादेवी (आ.सा.1) का कथन है कि मृतक गोरेलाल उसके पित थे। दुर्घटना दिनाँक 13.09.2017 को सुबह करीब 8:00 बजे जब उसके पित गोरेलाल मोटरसाईकिल से ग्राम खैरा भानपुरा मोटरसाईकिल को धीमी गित एवं सावधानीपूर्वक अपनी साईड से चलाते हुए जा रहा थे और जतारा-पलेरा रोड पर साहू पेट्रोल पम्प के सामने पहुंचे तभी अनावेदक क्रमाँक-1 ट्राला क्रमाँक यू.पी-83 टी-5244 को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए लाया और उसके पित की मोटरसाईकिल में पिछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पित नीचे गिर गये और ट्राला का पिहरा पित के

सिर पर चढ़ गया तथा दुर्घटनास्थल पर ही उसके पित गोरेलाल की मृत्यु हो गई। दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना, पलेरा में की गई थी, जिस पर से अनावेदक क्रमाँक-1 के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337, 304 ए के अंतर्गत अपराध क्रमाँक 259/2017 पंजीबद्ध किया गया। प्रतिपरीक्षण में आवेदिका का कथन है कि दुर्घटना के समय वह अपने घर पर थी, उसने यह स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह साक्षी दुर्घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

- आवेदिकागण की ओर से दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रुप में पक्षसमर्थन में नंदू कुशवाहा (आ.सा.2) का परीक्षण कराया गया है, जिसने अपने कथनों में यह बतलाया है कि दुर्घटना दिनाँक 13.09.2017 के सुबह 8 बजे की है। वह एवं उसका पुत्र गोरेलाल मोटरसाईकिलों से ग्राम खेरा भानपुरा जा रहे थे। एक मोटरसाईकिल को उसका पुत्र मृतक गोरेलाल चला रहा था और एक मोटरसाईकिल गयाप्रसाद कुशवाहा चला रहा था तथा वह गयाप्रसाद की मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था एवं उसका पुत्र उसके आगे मोटरसाईकिल से चल रहा था और जब उसका पुत्र जतारा-पलेरा रोड पर साहू पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी पीछे से सफेद रंग के ट्राला क्रमाँक यू.पी-83 टी-5244 को उसका चालक (अनावेदक क्रमाँक-1 लक्ष्मनसिंह पाल) तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसके आगे मोटरसाईकिल से चल रहे गोरेलाल की मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे गोरेलाल मोटरसाईकिल सहित नीचे गिर गया और ट्राला का पहिया पुत्र गोरेलाल के सिर पर चढ़ गया एवं दुर्घटनास्थल पर ही गोरेलाल की मृत्यु हो गई। दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना, पलेरा में की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि वह मृतक की मोटरसाईकिल पर नहीं बैठा था, उसका स्वतः कथन है कि वह अपनी मोटरसाईकिल से मृतक के पीछे चल रहा था। साक्षी का कथन है दुर्घटना कारित वाहन ट्राला को मौके पर ही पकड़ लिया था, थाने में ट्राला के ड्राईवर ने अपना नाम बताया था। उसने इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि मृतक शराब पीकर वाहन चला रहा था एवं गलत दिशा में जाने से मृतक की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई है।
- 10. आवेदक साक्षी नंदू कुशवाहा के उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरण के प्रपत्रों का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 दुर्घटना दिनाँक 13.09.2017 को ही पुलिस थाना, पलेरा पर लेखबद्ध की गई है, जिसमें अनावेदक क्रमाँक-1 द्वारा प्रश्नाधीन ट्राला वाहन को उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर गोरेलाल की मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मारकर घटना कारित किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है और प्रश्नाधीन वाहन भी अनावेदक क्रमाँक-1 से

दुर्घटना दिनाँक को घटनास्थल से प्रदर्श पी-4 के अनुसार जस किया गया है। शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मृतक गोरेलाल का शव परीक्षण दिनाँक 13.09.2017 को ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलेरा में डॉ.राकेश कुमार द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने मृतक की मृत्यु का कारण वाहन दुर्घटना में मृतक के सिर एवं शरीर में आई गंभीर चोटों से हुये अत्यधिक रक्तस्त्राव एवं सदमे में पहुंचने के कारण होना उल्लेखित किया है।

- 11. आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत उक्त आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों के पिरिशीलन से आवेदक साक्षी नंदू कुशवाहा के कथनों का पूर्णतः समर्थन होता है और उसका नाम अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 में उल्लेखित साक्ष्य सूची में भी है तथा प्रतिपरीक्षण में वह अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों पर स्थिर रहा है। उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विखण्डन में अनावेदकगण की ओर से कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा आवेदिकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। वाहन दुर्घटना से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों की वास्तविक जानकारी स्वयं वाहन चालक को होती है, किंतु प्रकरण में अनावेदक क्रमाँक-1 ने साक्ष्य में उपस्थित होकर यह दर्शित नहीं किया है कि दुर्घटना उसकी उपेक्षा, लापरवाही एवं उतावलेपन से घटित नहीं हुई, इन परिस्थितियों में उसके विपरीत अनुमान लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में Rajendra Singh v. Sheetaldas 1992(I) M.P.W.N. 104 में उल्लेखित न्याय निर्णय अवलोकनीय है।
- 12. अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से अपने जवाब में यह आपित ली गई है कि मृतक स्वयं मोटरसाईकिल का चालन बिना वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस के तेजी एवं लापरवाही से कर रहा था और उसी की लापरवाही से दुर्घटना हुई है, इसलिए दावे में मोटरसाईकिल के वाहन स्वामी एवं बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार हैं, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने से दावे में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है और मृतक स्वयं की दुर्घटना में लापरवाही होने से बीमा कंपनी क्षतिधन राशि अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है, किंतु इस संबंध में अनावेदक बीमा कंपनी ने कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अनावेदक क्रमाँक-1 ने दिनाँक 13.09.2017 को 8:00 बजे जतारा-पलेरा रोड पर साहू पेट्रोल पम्प के सामने, आम रोड पर ट्राला क्रमाँक यू.पी-83 टी-5244 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चला कर वाहन दुर्घटना कारित की, जिससे गोरेलाल की मृत्यु हुई। उपरोक्तानुसार वादप्रश्न क्रमाँक-1 का निष्कर्ष "प्रमाणित" के रुप में दिया जाता है।

#### वादप्रश्न क्रमाँक-2 एवं 3

उक्त दोनों वादप्रश्न अनावेदक क्रमाँक-6 बीमा कंपनी द्वारा जवाबदावे में ली 13. गई आपति के आधार पर निर्मित किये गये वादप्रश्न हैं, जिन्हें प्रमाणित करने का भार भी अनावेदक क्रमाँक-6 बीमा कंपनी पर हैं, किंतु इस संबंध में अनावेदक क्रमाँक-6 की ओर से कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जबिक इसके विपरीत आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रश्नाधीन ट्राला क्रमाँक यू.पी-83 टी-5244 को अनावेदक चालक लक्ष्मन सिंह के ड्राईविंग लाईसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण कार्ड, फिटनेस, बीमा पॉलिसी आदि दस्तावेजों के साथ जप्त किया गया है और उक्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ भी अभिलेख पर हैं, जो दुर्घटना की अविध में वैध एवं मियाद में होना पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि दुर्घटना दिनाँक को अनावेदक क्रमाँक-1 के पास प्रश्नाधीन वाहन ट्राला को चलाने का वैध एवं प्रभावी डाईविंग लाईसेंस नहीं था और प्रश्नाधीन वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में संचालित किया जा रहा था। अतः वादप्रश्न क्रमाँक-2 एवं 3 के निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" के रुप में दिये जाते हैं।

### वादप्रश्न क्रमाँक-4

14. आवेदिका श्रीमती रेखादेवी का कथन है कि उसके पित मृतक गोरेलाल की आयु दुर्घटना के समय 24 वर्ष थी। प्रतिपरीक्षण में उसका कथन है कि उसके पित की उम्र दुर्घटना के समय 27 वर्ष थी। मृतक के पिता नंदू कुशवाहा का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि दुर्घटना के समय उसके पुत्र मृतक की उम्र 30 वर्ष थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु के संबंध में आवेदिका साक्षीगण एकमत नहीं हैं। मृतक की आयु प्रमाणन के संबंध में आवेदिकागण की ओर से मृतक की कोई अंकसूची, आधार कार्ड आदि प्रस्तुत नहीं किया है। मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक ने मृतक की आयु 28 वर्ष होना उल्लेखित किया है तथा मृतक के पिता ने भी उसके पुत्र की आयु 30 वर्ष होना बताया है। उक्त साक्ष्य के विखण्डन में अनावेदकगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय मृतक को 26 से 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति होना मान्य किया जाता है।

- मृतक की पत्नी आवेदिका श्रीमती रेखादेवी का कथन है कि उसका पति 15. पूर्ण रुप से हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था और सब्जी बेचने, मकान बनाने की कारीगिरी कर तथा पिता की कृषि भूमि में कृषि कार्य कर 10,000/-रुपए मासिक आय अर्जित करता था, किंतु आवेदिकागण की ओर से मृतक की सब्जी बेचने एवं मकान बनाने की कारीगिरी से होने वाली आय का कोई दस्तावेजी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही किसी ऐसे साक्षी का परीक्षण कराया गया है, जिसके यहाँ से मृतक सब्जी खरीदकर अथवा सब्जी बेचकर आय अर्जित करता था और उसके यहाँ मकान बनाने की कारीगिरी करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा मृतक को उसकी मजदुरी का पैसा दिया गया था। जहाँ तक मृतक द्वारा उसके पिता की कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर धनार्जन करने का विषय है, तो इस संबंध में भी आवेदकगण द्वारा मृतक के पिता नंदू के नाम कृषि भूमि होने संबंधी खसरा-खतौनी, ऋण-प्स्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त के अभाव में आवेदिकागण द्वारा मृतक को बतलाई गई आय अर्जित करना मान्य किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है, किंत् परिस्थितियों के प्रकाश में आवेदिकागण द्वारा किये गये कथनों के आधार पर मृतक को एक अकुशल श्रमिक होना मान्य किया जा सकता है, जिसकी अकुशल श्रमिक के समान मजदूरी 6,500/-रुपए मासिक अर्थात् 78,000/-रुपए वार्षिक आय होना मान्य किया जाता है।
- 16. आवेदिकागण ने उन्हें मृतक की आय पर आश्रित होना बताया है। यह स्पष्ट है कि आवेदिका क्रमाँक-1 मृतक की पत्नी है, आवेदक क्रमाँक-2 मृतक का पिता, आवेदिका क्रमाँक-3 मृतक की माँ, आवेदक क्रमाँक-4 एवं 5 मृतक के भाई हैं, जिनमें से आवेदक क्रमाँक-4 एवं 5 वयस्क हैं तथा आवेदिकागण की ओर से ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह दर्शित हो सके कि आवेदक क्रमाँक-4 एवं 5 किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं तथा असहाय होकर मृतक पर आश्रित थे। ऐसी स्थिति में आवेदक क्रमाँक-4 एवं 5 मृतक पर आश्रित होना नहीं पाये जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा National Insurance Co. Ltd vs Pranay Sethi AIR 2017 SC 5157 वाले मामले में पिता को उसके पुत्र (मृतक) पर आश्रित नहीं होना मान्य किया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत मामले में मृतक गोरेलाल पर उसकी पत्नी एवं माता आवेदिका क्रमाँक-1 एवं 3 आश्रित होना माने जायेंगे।

- 17. पूर्व विवेचनानुसार मृतक की वार्षिक आय 78,000/-रुपए होना आकलित की गई है, जिसमें से मृतक पर आश्रिततों की संख्या (2 से 3) को देखते हुए एक तिहाई अंश अर्थात् 78,000 ÷ 3 = 26,000/-रुपए मृतक का स्वयं के ऊपर व्यय घटाया जाने पर मृतक पर आवेदक क्रमाँक-1 एवं 3 की आश्रितता 78,000 26,000 = 52,000/-रुपए वार्षिक होगी, जिस पर भविष्य की प्रत्याशा (प्रणय सेठी वाले मामले में पारित निर्देशों के अनुसार) के मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 52,000×40% = 20,800/-रुपए की वृद्धि किये जाने पर आवेदक क्रमाँक-1 एवं 3 की मृतक पर आश्रितता 52,000 + 20,800 = 72,800/-रुपए वार्षिक होगी।
- 18. दुर्घटना के समय मृतक को 26 से 30 आयु प्रवर्ग का व्यक्ति होना पाया गया है, इसलिए National Insurance Co. Ltd vs Pranay Sethi AIR 2017 SC 5157 वाले मामले के अनुसार 17 का गुणक प्रयोग किये जाने पर आवेदक क्रमाँक-1 एवं 3 को मृतक गोरेलाल की दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरुप हुई असमय मृत्यु से उन्हें आय/आश्रितता धन की हानि के लिए 72,800 ×17 = 12,37,600/-रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाना उचित है।
- आवेदकगण ने मूल याचिका में वर्णित सभी क्षतिपूर्ति राशियों को साक्ष्य 19. से प्रमाणित नहीं किया है, तथापि दुर्घटना में आई चोटों के कारण गोरेलाल की असमय मृत्यु से आवेदिका क्रमाँक-1 को साहचर्य की हानि हुई है एवं आवेदक क्रमाँक-3 को मृतक से मिलने वाले प्रेम व स्नेह से वंचित होना पड़ा है तथा मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी हुआ है और मृतक के अंतिम संस्कार में भी राशि खर्च करना पड़ी होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा National Insurance Co. Ltd vs Pranay Sethi AIR 2017 SC 5157 वाले मामले में दुर्घटना मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में संपदा की हानि बतौर 15,000/-रुपए, साहचर्य की हानि बतौर 40,000/-रुपए तथा अंतिम संस्कार की हानि बतौर 15,000/-रुपए दिलाया जाना एवं न्यायदृष्टांत पारित किये जाने की दिनाँक अर्थात् 31.10.2017 के उपरांत प्रत्येक 3 वर्ष में उपरोक्त मदों में उक्त न्याय दृष्टांत की कंडिका-61(VIII) के अनुसार उक्त मदों में 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि की जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार हस्तगत मामले में गोरेलाल कुशवाहा की दुर्घटना मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार साहचर्य की हानि के मद में 44,000/-रुपए, संपदा की हानि के मद में 16,500/-रुपए तथा अंतिम संस्कार की हानि के मद में 16,500/-रुपए की राशि भी दिलाई जाना उचित है।

20. फलतः आवेदक क्रमाँक-1 एवं 3 को अदायोग्य क्षतिधन की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। उक्त क्षतिधन राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनाँक 06.10.2018 से राशि अदायगी दिनाँक तक वर्तमान परिस्थितियों में बैंक की ब्याजदरों को दृष्टिगत रखते हुए 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा:-

1.	आय/आश्रितता की हानि के मद में	12,37,600/-रुपए
2.	साहचर्य की हानि के मद में	44,000/-रुपए
3.	संपदा की हानि के मद में	16,500/-रुपए
4.	अंतिम संस्कार की मद में	16,500/-रुपए
	कुल क्षतिधन राशि	13,14,600/-रुपए

21. दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमाँक-1 द्वारा प्रश्नाधीन वाहन ट्राला क्रमाँक यू.पी-83 टी-5244 को तेजी एवं लापरवाही से चलाया जाकर दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित है तथा वाहन का स्वामित्व भी अनावेदक क्रमाँक-2 लगायत 4 की रजिस्टर्ड प्राईवेट कंपनी के नाम से होने के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है और अनावेदक क्रमाँक-5 ने विधिवत् प्रश्नाधीन वाहन को सुपुर्दनामे में प्राप्त किया है, इसी कारण से अनावेदक क्रमाँक-1 लगायत 5 क्षतिधन राशि अदायगी के लिए उत्तरदायी होंगे। दुर्घटना दिनाँक को उक्त प्रश्नाधीन ट्राला वाहन अनावेदक क्रमाँक-6 के पास तृतीय पक्ष की नुकसानी हेतु बीमित होने के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है, इस कारण से वह भी अनुबंधात्मक दायित्व के अधीन क्षतिधन की राशि अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा। उक्त उत्तरदायित्व सभी पक्षों का संयुक्ततः अथवा पृथकतः समान रुप से होगा। उपरोक्तान्सार वादप्रश्न क्रमाँक-4 का निराकरण किया जाता है।

# वादप्रश्न क्रमाँक-5

22. उपरोक्त् वादप्रश्नों के निष्कर्ष के आधार पर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत यह क्लेम दावा आवेदक क्रमाँक-1 एवं 3 के पक्ष में आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:-

- अ. अनावेदकगण संयुक्ततः अथवा पृथकतः दायित्व के अधीन आवेदक क्रमाँक-1 रेखादेवी कुशवाहा एवं आवेदक क्रमाँक-3 हीराबाई कुशवाहा को कुल 13,14,600/-रुपए (तेरह लाख चौदह हजार छः सौ रुपए) की क्षतिधन राशि अधिनिर्णय पारित दिनाँक से 30 दिवस की अवधि के भीतर अदा करेंगे।
- ब. अनावेदकगण उपरोक्त क्षतिधन राशि पर क्लेम दावा प्रस्तुति दिनाँक 06.10.2018 से राशि अदायगी दिनाँक तक 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी अदा करेंगे।
- स. आवेदक क्रमाँक-2 नंदू कुशवाहा, आवेदक क्रमाँक-4 गुलाब कुशवाहा एवं आवेदक क्रमाँक-5 लक्ष्मन कुशवाहा के संबंध में उनकी ओर से प्रस्तुत क्लेम दावा निरस्त समझा जावे।
- द. आवेदकगण को यदि त्रुटिहीन दायित्व के अधीन कोई क्षतिपूर्ति राशि अदा की गई हो, तो वह उक्त अवार्ड की राशि में समायोजित कर शेष राशि अदा की जावे।
- इ. आवेदिका क्रमाँक-1 एवं 3 प्रत्येक को अवार्ड की आधी-आधी राशि प्रदान की जाती है। आवेदिका क्रमाँक-1 एवं 3 प्रत्येक को प्राप्त होने वाली अवार्ड की राशि में से 6,00,000-6,00,000/-रुपए (छः-छः लाख रुपए) की राशि उनके प्रत्येक के नाम से चार बराबर-बराबर भागों में विभाजित कर क्रमशः 1, 3, 5 एवं 7 वर्ष की अविध के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में साविध जमा रखी जावे। साविध जमा राशि पर कोई ऋण प्राप्त नहीं होगा और साविध अविध पूर्ण होने पर जमा राशि संबंधित को उसके बचत खाते के माध्यम से भुगतान की जायेगी और आवेदिका क्रमाँक-1 एवं 3 के हिस्से की अवार्ड की शेष राशि ब्याज सहित उन्हें उनके बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाये, जिसे वे उनकी आवश्यकतानुसार आहरित कर सकेंगी।

फ. अनावेदकगण अपना एवं आवेदकगण का व्यय वहन करेंगे।
अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार अथवा
2,500/-रुपए, जो भी कम हो, जोड़ा जाये।

उपरोक्तानुसार व्यय-पत्रक बनाया जाये।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/(इन्द्रा सिंह)
सदस्य
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
टीकमगढ (म.प्र.)

सही / (इन्द्रा सिंह)
सदस्य
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
टीकमगढ (म.प्र.)

दिनांक ७ अप्रैल, २०२१

<u>प्रतिलिपिः</u>-

करने हेतु।

अनावेदक क्रमाँक-६ बीमा कंपनी को अधिनिर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदाय

Sd/-(इन्द्रा सिंह) सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण टीकमगढ़ (म.प्र.) 07.04.2021